

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु. भोपाल-02-06.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 जुलाई 2010—आषाढ़ 23, शक 1932

खेल और युवक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. एफ.-1-1-2006-नौ.—मध्यप्रदेश शासन के खेल और युवक कल्याण विभाग के अन्तर्गत भर्ती सूचना केन्द्र सह प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य प्रयोजनों हेतु संविदा भर्ती तथा सेवा शर्तों को नियमित करने के लिये राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—ये नियम भर्ती सूचना केन्द्र सह प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत संविदा सेवा भर्ती (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2010 हैं.

(2) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

(क) “उपाबंध” से अभिप्रेत है, नियमों से संलग्न उपाबन्ध;

(ख) “नियुक्त प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, संबंधित प्रवर्ग के लिये अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ग) “संविदा सेवा” से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त अशासकीय सेवक.

(घ) “संविदा सेवा” से अभिप्रेत है, इन नियमों में यथा उपबंधित संविदा सेवा;

(ङ) “संविदा नियुक्ति” से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति;

(च) “जिला” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश का राजस्व जिला;

- (छ) "शासन" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;
- (ज) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल;
- (झ) "पद" से अभिप्रेत है, अनुसूची के कालम दो में उल्लिखित पद;
- (ञ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ट) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, संबंधित प्रवर्ग के लिये अनुसूची में विनिर्दिष्ट समिति;
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
- (ड) "अर्हता" से अभिप्रेत है, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं;
- (ढ) "मेरिट सूची" से अभिप्रेत है, चयन समिति द्वारा तैयार की गई प्रविण्यता सूची;
- (त) "शासकीय संस्था" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन के विभाग एवं उससे संबद्ध संस्थाएं;

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा और यह जिला स्तर पर नियोजित किये जाने वाले संविदा सेवकों के लिये लागू होंगे.

4. **संविदा अधिकारी/कर्मचारियों की रिक्तियां.**— अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट रिक्तियां.

5. **वर्गीकरण तथा संविदा पारिश्रमिक.**—संविदा सेवा का वर्गीकरण और उनका संविदा पारिश्रमिक ऐसा होगा जैसा कि अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट किया जाये.

6. **चयन तथा नियोजन की पद्धति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् संविदा सेवकों का नियोजन, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा:—

- (1) चयन की समस्त प्रक्रिया राज्य/संचालनालय स्तर अथवा संचालक के निर्देशानुसार गठित चयन समिति द्वारा की जावेगी, इस चयन समिति के सदस्य संचालक, खेल और युवा कल्याण द्वारा नामांकित अधिकारी होंगे.
- (2) आवेदन निःशुल्क रहेगा. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार किये जावेंगे.
- (3) आवेदक को अपने आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश के स्थाई मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
- (4) आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है.
- (5) आवेदक को अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अभिप्रमाणित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा.
- (6) आवेदक को अपने आवेदन-पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा.
- (7) आवेदक आवेदन जमा करने की निर्धारित तिथियों में संबंधित कार्यालय में आवेदन जमा करते समय आवेदन में संलग्न सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करेंगे. जिसके आधार पर आवेदन का परीक्षण एवं तालिका के आधार पर आवेदक के प्राप्तांकों की गणना होगी. इस प्राप्तांक की एक प्रति सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से आवेदक को भी दी जावेगी एवं एक प्रति आवेदक के आवेदन के साथ रखी जावेगी. आवेदकों की मेरिट सूची इन्हीं प्राप्तांकों के आधार पर समिति द्वारा तैयार की जावेगी.
- (8) चयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय मूल प्रमाण-पत्र परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर उन्हें प्राप्त अंकों की भी लिखित सूचन दी जावेगी ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे. प्रक्रिया के पारदर्शी रखने का उद्देश्य चयन से सर्वश्रेष्ठ संविदा सेवक की नियुक्ति करना है.
- (9) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा.

- (10) संविदा सेवक की नियुक्ति संबंधी समस्त प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति की पंजी, प्रमाण-पत्रों का प्रमाणीकरण, अभ्यर्थी को प्राप्तांक की अभिस्वीकृति, मेरिट सूची, चयन समिति की लिखित अनुशंसा, मेरिट सूची की घोषणा, संविदा नियुक्ति का आदेश एवं चयनित अभ्यर्थी की आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं, अनुप्रमाणन चरित्र प्रमाण-पत्र एवं मेडिकल प्रमाण-पत्र आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी एवं उक्त समस्त रिकार्ड को चयन समिति द्वारा परीक्षण संबंधित समक्ष प्राधिकारी के पास संधारित/सुरक्षित रखा जावेगा.
- (11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध संविदा सेवक के नियोजन पर लागू होंगे.
- (12) (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1/2002 आ.प्र./1, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसरण में स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित किये जाएंगे.
- (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5-वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध), नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

7. **चयन का मापदण्ड.**—चयन समिति द्वारा आवेदन-पत्रों की छानबीन करने के पश्चात् अनारक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) पृथक्-पृथक् तैयार की जायेगी. मेरिट सूची तैयार करने हेतु अधिकतम अंक निम्नानुसार दिये जाएंगे:—

7.1 मुख्य समन्वयक—

1. एम.पी.एड	75% से अधिक	—	40 अंक
	74% से 60%	—	30 अंक
	59% से 50%	—	20 अंक
	50% से कम	—	10 अंक
2. स्नातक	60% से अधिक	—	20 अंक
	59% से 50%	—	15 अंक
	50% से कम	—	10 अंक
3. किसी शासकीय कार्यालय से राजपत्रित द्वितीय श्रेणी अधिकारी पद का 10-वर्ष का न्यूनतम अनुभव, प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर	10-अंक	—	100 अंक
4. पुलिस सेवा में सराहनीय सेवा एवं विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता.			

2. मुख्य प्रशिक्षक आउटडोर—

1. एम.पी.एड	75% से अधिक	—	40 अंक
	74% से 60%	—	30 अंक
	59% से 50%	—	20 अंक
	50% से कम	—	10 अंक

2. बी.पी.एड	75% से अधिक	—	30 अंक
	74% से 60%	—	15 अंक
	59% से 50%	—	10 अंक
	50% से कम	—	05 अंक
3. एथलेटिक्स में एन.आई.एस./एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर द्वारा कोचिंग में पी.जी. डिप्लोमा.		—	150 अंक
4. अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता	प्रथम	—	150 अंक
	द्वितीय	—	125 अंक
	तृतीय	—	100 अंक
	सहभागिता	—	50 अंक
5. राष्ट्रीय खेल, अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में उपलब्धि	प्रथम	—	50 अंक
	द्वितीय	—	40 अंक
	तृतीय	—	30 अंक
	सहभागिता	—	20 अंक
6. 03-वर्ष का न्यूनतम प्रशिक्षण अनुभव (शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में) (03-वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 10-अंक).		—	30 अंक
3. सहायक प्रशिक्षक आउटडोर—			
1. एम.पी.एड	75% से अधिक	—	40 अंक
	74% से 60%	—	30 अंक
	59% से 50%	—	20 अंक
	50% से कम	—	10 अंक
2. बी.पी.एड	75% से अधिक	—	30 अंक
	74% से 60%	—	15 अंक
	59% से 50%	—	10 अंक
	50% से कम	—	05 अंक
3. राष्ट्रीय खेल, अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में पदक विजेता	प्रथम	—	50 अंक
	द्वितीय	—	40 अंक
	तृतीय	—	30 अंक
	सहभागिता	—	20 अंक
4. एथलेटिक्स खेल में 2 वर्ष का शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभाग में प्रशिक्षण का अनुभव (एक वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 10-अंक)		—	10 अंक
4. फैकल्टी (लॉ, मैथ, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान)—			
1. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर	75% से अधिक	—	40 अंक
	74% से 60%	—	30 अंक
	59% से 50%	—	20 अंक
	50% से कम	—	10 अंक

2. स्नातक	60% से अधिक	—	20 अंक
	59% से 50%	—	15 अंक
	50% से कम	—	10 अंक
3. सेवानिवृत्त शासकीय महाविद्यालय अथवा हायर सेकेंडरी स्कूल व्याख्याताओं को प्राथमिकता			
4. प्रशिक्षण प्राप्त व्याख्याताओं को प्राथमिकता			
5. कम्प्यूटर आपरेटर कम लिपिक—			
1. स्नातक	60% से अधिक	—	20 अंक
	59% से 50%	—	15 अंक
	50% से कम	—	10 अंक
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या पी.जी.डी.सी.ए. या पोलिटेक्निक डी.सी.ए. अथवा बी.सी.ए./बी.एस.सी. या बी.कॉम. (कम्प्यूटर्स) (प्रायोगिक)	60% से अधिक	—	50 अंक
	59% से 50%	—	40 अंक
	50% से कम	—	30 अंक
3. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.		—	50 अंक
4. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय में कम्प्यूटर कार्य का 1 वर्ष से अधिक का अनुभव.		—	50 अंक
5. एन.सी.सी. सर्टिफिकेट (ए.बी अथवा सी)		—	25 अंक
6. राष्ट्रीय खेल, अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में पदक विजेता/भागीदारी.	प्रथम/द्वितीय	—	100 अंक
	तृतीय	—	
	भागीदारी	—	50 अंक
7. अधिकृत राज्य स्तरीय खेल एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल प्रतियोगिता में पदक विजेता/भागीदारी.	प्रथम	—	40 अंक
	द्वितीय	—	30 अंक
	तृतीय	—	20 अंक
	भागीदारी	—	10 अंक
8. प्रावीण्यता प्रायोगिक		—	20 अंक
6. ग्राउण्ड मेन—			
1. 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	60% से अधिक	—	20 अंक
	59% से 50%	—	15 अंक
	50% से कम	—	10 अंक
2. अधिकृत मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मध्यप्रदेश राज्य शालेय प्रतियोगिता.	प्रथम	—	40 अंक
	द्वितीय	—	30 अंक
	तृतीय	—	20 अंक
	भागीदारी	—	10 अंक

3.	एन.सी.सी. सर्टिफिकेट	सी सर्टिफिकेट	—	50 अंक
		बी सर्टिफिकेट	—	30 अंक
		ए सर्टिफिकेट	—	20 अंक
4.	किसी शासकीय अथवा अर्द्ध-शासकीय संस्था में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव (1 वर्ष के अनुभव को अधिकमत 10 अंक के मान से).		—	10 अंक
5.	माली प्रवीण्यता प्रायोगिक		—	20 अंक
7.	भृत्य—			
1.	8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	60% से अधिक	—	20 अंक
		59% से 50%	—	15 अंक
		50% से कम	—	10 अंक
2.	5वीं परीक्षा उत्तीर्ण	60% से अधिक	—	20 अंक
		59% से 50%	—	15 अंक
		50% से कम	—	10 अंक
3.	अधिकृत मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, मध्यप्रदेश राज्य शालेय प्रतियोगिता.	प्रथम	—	40 अंक
		द्वितीय	—	30 अंक
		तृतीय	—	20 अंक
		भागीदारी	—	10 अंक
8.	सफाईकर्मी—			
1.	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (पुरानी या हाईस्कूल (10+2 शिक्षा प्रणालि से) परीक्षा उत्तीर्ण.	60% से अधिक	—	20 अंक
		59% से 50%	—	15 अंक
		50% से कम	—	10 अंक
2.	8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	60% से अधिक	—	20 अंक
		59% से 50%	—	15 अंक
		50% से कम	—	10 अंक
3.	5वीं परीक्षा उत्तीर्ण	60% से अधिक	—	20 अंक
		59% से 50%	—	15 अंक
		50% से कम	—	10 अंक

- नोट :—**
1. प्रवीण्यता प्रायोगिक से तात्पर्य संबंधित विषय के ट्रेड/कार्य की प्रायोगिक गुणवत्ता एवं कार्यानुभव का परीक्षण.
 2. संचालक द्वारा नामांकित विषय विशेषज्ञों को प्रवीण्यता प्रायोगिक परीक्षण हेतु पृथक् से नामांकित किया जावेगा.
 3. प्रत्येक पदक के अंकों की गणना पृथक्-पृथक् की जावेगी.

7(2) (क) एक वर्ष के अनुभव के रूप में गणना किये जाने के लिये न्यूनतम 8 माह की अवधि का अनुभव अपेक्षित होगा. 8 माह से कमी की अवधि के अनुभव के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे.

(ख) प्रवर्गवार योग्यता सूची में अंक बराबर होने की दशा में अंतिम चयन में प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जायेगी.

8. **मेरिट सूची तैयार किया जाना.**—नियम 6(7) के अधीन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के पश्चात् प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये मेरिट सूची नियम (7) के अनुसार आंकलन के आधार पर उनकी मेरिट के क्रम में तैयार की जायेगी और ऐसी सूची में नियम 6 (13) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के नाम पृथक् से दर्शाये जाएंगे. संवर्गवार पृथक्-पृथक् चयन सूची भी तैयार की जायेगी जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया गया हो और अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाये गये हो. यदि अनारक्षित वर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी हो तो उसके नियोजन को आरक्षित प्रवर्ग की रिक्ति के विरुद्ध नहीं माना जावेगा.

मेरिट सूची चयन समिति के समस्त सदस्यों के परीक्षण उपरान्त संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होगी. मेरिट सूची के आधार पर रिक्ति अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जावेगा. यह नियुक्ति पत्र संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश, जारी करेंगे. यह मेरिट सूची घोषणा की तिथि से 45 दिवस तक वैध रहेगी.

चयनित प्रशिक्षक/प्रशिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने के लिये आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करने का समय दिया जायेगा. उक्त चयनित प्रशिक्षक द्वारा यदि समय सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो मेरिट सूची के आगामी अभ्यर्थी को चयन समिति द्वारा अवसर दिया जावेगा.

9. **मेरिट सूची का प्रकाशन.**—(1) मेरिट सूची संचालनालय खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी.

10. **संविदा नियोजन की कालावधि.**—(1) संविदा खेल प्रशिक्षण के पद के लिये चयनित व्यक्ति अधिकतम एक वर्ष की कालावधि के लिये संविदा पर नियोजित किया जावेगा. उससे इन नियमों के संलग्न परिशिष्ट में विहित किये गये प्रारूप में संविदा करने की अपेक्षा की जायेगी. प्रत्येक वर्ष के लिये संचालक, खेल और युवा कल्याण, म. प्र. द्वारा प्रत्येक संविदा सेवक के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन यथा विहित प्रारूप में संधारित किया जावेगा :

परन्तु सरकार के निर्देश पर चयनित व्यक्ति का नियोजन आवश्यकतानुसार एक वर्ष से कम की कालावधि के लिये भी किया जा सकेगा एवं उसकी संविदा की कालावधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी.

11. **संविदा कालावधि में वृद्धि.**—(1) एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् भर्ती सूचना केन्द्र सह प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी अधिकारी की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार संचालक, खेल और युवा कल्याण द्वारा एक वर्ष की वृद्धि और की जा सकेगी. संचालक, खेल और युवा कल्याण, म. प्र. संविदा वृद्धि हेतु उसके कार्य, आचरण प्रदर्शन के परिणाम के आधार पर वृद्धि हेतु अंतिम निर्णय करेंगे.

(2) प्रत्येक संविदा कालावधि के पश्चात् संविदा कालावधि में वृद्धि किये जाने की दशा में नवीन संविदा निष्पादित करना होगी.

12. **अनुशासन एवं नियंत्रण.**—(1) संविदा सेवक भर्ती सूचना केन्द्र सह प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी अधिकारी के अनुशासनिक तथा प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा. संचालक, खेल और युवा कल्याण, म. प्र. को संविदा सेवक के विरुद्ध विहित किये गये अधिकारियों से प्राप्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव/प्रतिवेदनों के संबंध में विहित की गई समय-सीमा में विनिश्चय करना होगा.

13. **अन्य शर्तें.**—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति शासकीय सेवक नहीं माना जावेगा.

(2) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति, शासन के समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्तों का हकदार होगा.

(3) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति पेंशन संबंधी तथा अन्य किसी भी प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा.

(4) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिवस के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा. महिला संविदा सेवक की दशा में वह 90 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी एवं पुरुष संविदा सेवक की दशा में वह 15 दिन के पैतृत्व अवकाश का हकदार होगा किन्तु कोई भी संविदा सेवक किसी अन्य प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा.

(5) संविदा सेवक अपनी पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा/की जायेगी, और वह अपनी पदस्थापना के स्थान को अपना मुख्यालय बनाये रखेगा/रखेगी.

- (6) इन नियमों के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- (7) संविदा अवधि का अवसान होने के पूर्व इन नियमों के अधीन किसी भी पक्षकार द्वारा 1 माह की सूचना देकर या उसके बदले में 1 माह के संविदा पारिश्रमिक का भुगतान कर सेवाओं का पर्यवसान किया जा सकेगा।
- (8) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति शासन के कर्मचारियों के लिये लागू आचरण नियमों द्वारा शासित होता। सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी संविदा में विनिर्दिष्ट की जायें।
14. **विहित करने की राज्य सरकार की शक्ति.**—(1) इन नियमों में जहां कहीं “विहित” करने का उपबन्ध किया गया है वहां उसका प्रयोग सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश जारी करके किया जायेगा।
15. **निर्वचन.**—(1) इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
16. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—(1) इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं; परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी नियमों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.जी. गिल्लौर, उपसचिव.

अनुसूची—एक

संविदा सेवा का वर्गीकरण तथा पारिश्रमिक
(देखें नियम-5)

क्र. (1)	संविदा सेवा का वर्गीकरण (2)	संविदा पारिश्रमिक (3)	नियोजनकर्ता प्राधिकारी (4)
1	संविदा मुख्य समन्वयक	रुपये 12000/- मासिक	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश
2	संविदा मुख्य प्रशिक्षक	रुपये 9,000/- मासिक	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश
3	संविदा सहायक प्रशिक्षक	रुपये 7,000/- मासिक	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश
4	संविदा फेकल्टी (लॉ, मैथ, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान)	रुपये 8,000/- मासिक	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश
5	संविदा कम्प्यूटर आपरेटर कम लिपिक	रुपये 5,000/- मासिक	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश
6	संविदा ग्राउण्डमेन	रुपये 3,500/- मासिक	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश
7	संविदा भृत्य	रुपये 3,000/- मासिक	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश
8	संविदा सफाई कर्मी	रुपये 2,000/- मासिक	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश

अनुसूची—दो

संविदा खेल प्रशिक्षक के लिए आयु अर्हतायें एवं चयन समिति
[देखें नियम-2 (ड)]

क्र.	संविदा खेल प्रशिक्षक का पदनाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक एवं अन्य न्यूनतम अर्हताएं	चयन समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संविदा मुख्य समन्वयक,	45 वर्ष	65 वर्ष	1. स्नातक 2. किसी शासकीय कार्यालय से राजपत्रित द्वितीय श्रेणी अधिकारी पद का 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव, प्रत्येक वर्ष के अनुभव.	1. संयुक्त संचालक/उप संचालक 2. संचालक द्वारा नामांकित एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का राजपत्रित अधिकारी. 3. संचालक द्वारा नामांकित एक अल्पसंख्यक वर्ग का राजपत्रित अधिकारी.
2	संविदा मुख्य प्रशिक्षण आउटडोर	30 वर्ष	50 वर्ष	1. बी.पी.एड 2. एन.आई.एस./एल.एन.आई. पी.ई. ग्वालियर द्वारा कोचिंग में पी.जी. डिप्लोमा. 3. राष्ट्रीय खेल, अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में उपलब्धि. 4. 03 वर्ष का न्यूनतम प्रशिक्षण अनुभव (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में).	-तदैव-
3	संविदा सहायक प्रशिक्षक आउटडोर	25 वर्ष	40 वर्ष	1. बी.पी. एड उत्तीर्ण 2. राष्ट्रीय खेल, अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक विजेता. 3. एथलेटिक्स खेल में 2 वर्ष का शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालय में प्रशिक्षण का अनुभव.	-तदैव-
4	संविदा फेकल्टी (लॉ मैथ, अग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान)	25 वर्ष	45 वर्ष	1. संबंधित विषय में स्नातक	-तदैव-
5	संविदा कम्प्यूटर आपरेटर कम लिपिक	21 वर्ष	30 वर्ष	1. स्नातक 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या पी.जी.डी.सी.ए. या पोलीटेक्निक डी.सी.ए. अथवा बी.सी.ए./बी.एस.सी. या बी.कॉम. (कम्प्यूटर्स) (प्रायोगिक).	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.	1. संयुक्त संचालक/उप संचालक 2. संचालक द्वारा नामांकित एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का राजपत्रित अधिकारी.
				4. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय में कम्प्यूटर कार्य का 1 वर्ष से अधिक का अनुभव.	3. संचालक द्वारा नामांकित एक अल्पसंख्यक वर्ग का राजपत्रित अधिकारी.
6	संविदा ग्राउण्ड मेन	21 वर्ष	35 वर्ष	1. 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष. 2. किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में 1 वर्ष का अनुभव.	
7	संविदा भृत्य	21 वर्ष	35 वर्ष	1. 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण.	
8.	संविदा सफाई कर्मी			1. 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण.	

अनुसूची—तीन

संविदा अधिकारी/कर्मचारी के लिये संविदा पारिश्रमिक संवर्ग/श्रेणी एवं रिक्तियां
(देखें नियम-4)

क्र. (1)	संविदा सेवा का वर्गीकरण (2)	संविदा पारिश्रमिक (3)	रिक्तियां (4)
1	संविदा मुख्य समन्वयक,	रुपये 12000/- मासिक	02
2	संविदा मुख्य प्रशिक्षक	रुपये 9,000/- मासिक	02
3	संविदा सहायक प्रशिक्षक	रुपये 7,000/- मासिक	02
4	संविदा लॉ फेकल्टी	रुपये 8,000/- मासिक	02
5	संविदा मैथ फेकल्टी	रुपये 8,000/- मासिक	02
6	संविदा अंग्रेजी फेकल्टी	रुपये 8,000/- मासिक	02
7	संविदा सामान्य ज्ञान फेकल्टी	रुपये 8,000/- मासिक	02
8	संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर कम लिपिक	रुपये 5,000/- मासिक	02
9	संविदा ग्राउण्डमेन	रुपये 3,500/- मासिक	04
10	संविदा भृत्य	रुपये 3000/- मासिक	02
11	संविदा सफाई कर्मी	रुपये 2,000/- मासिक	02

परिशिष्ट
संविदा का प्रारूप

[नियम 09 (1) देखिए]

यह संविदा दिनांक मास वर्ष को एक पक्ष के रूप में श्री (जो इसमें इसके पश्चात् "संविदा कहलायेगा) तथा दूसरे पक्ष के रूप में के लिये और उसकी ओर से के बीच निष्पादित की गई.

अतः संचालक, खेल एवं युवक कल्याण के नाम संविदा (भर्ती सूचना केन्द्र सह प्रशिक्षण संस्थान) नियम, 2009 में दी गई शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर दिनांक (वर्ष) संविदा को के रूप में जिले का नाम नियोजन के लिये सहमत है:—

अतएव पक्षकारों के बीच निम्नानुसार संविदा की जाती है कि:—

- (1) यह कि संविदा पर नियुक्त का दर्जा किसी भी दशा में शासकीय सेवक का नहीं होगा.
- (2) संविदा को नियोजित करेगी तथा वह तारीख से के रूप में की सेवा करेगा,
- (3) संविदा तारीख से वर्षों की कालावधि के लिये की इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किये गये अनुसार सेवा के पूर्व पर्यवसान के अधीन रहते हुए सेवा करेगा,
- (4) संविदा अपना संपूर्ण समय सेवा के कर्तव्य के प्रति समर्पित करेगा/करेगी तथा अपने स्वयं को किसी व्यापार, कारोबार या जीविका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लगायेगा/लगायेगी और संचालक, खेल एवं युवक कल्याण/सक्षम प्राधिकारी से पहले अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना (सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दुर्घटना या बीमारी की दशा में प्रमाणित किये जाने के सिवाये) अनुपस्थित नहीं रहेगा/रहेगी.
- (5) संविदा को उसकी पदस्थापना के स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा और उसे अपनी पदस्थापना के स्थान पर अपना मुख्यालय रखना होगा.
- (6) संविदा का पर्यवसान, उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय की लिखित में कम से कम एक कैलेंडर मास की सूचना देकर किया जा सकेगा. संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, म. प्र. द्वारा या उसकी ओर से दी गई ऐसी सूचना के बारे में समझा जायेगा कि वह पर्याप्त सूचना है यदि वह संविदा को संबोधित तथा उसके निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी गई है:

परन्तु संविदा की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेंगी और संविदा को संबंधित कार्यालय द्वारा 1 मास के संविदा पारिश्रमिक के बराबर पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा :

परन्तु यह और कि संविदा का पर्यवसान किसी संविदा द्वारा एक मास की अपेक्षित सूचना दिये बिना संविदा की कालावधि के अवसान के पूर्व किया जाता है तो वह एक मास के संविदा पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित कार्यालय को करेगा/करेगी.

- (7) किसी संविदा की सेवायें किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेंगी यदि संविदा कोई अवचार करता है/करती है या इस संविदा के निबंधनों या अपने कर्तव्यों या समय-समय पर उसे सौंपे गये किन्हीं कर्तव्यों का जान बूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा करता है/करती है.

- (8) संविदा को अपने नियोजन की अवधि के दौरान रुपये प्रतिमास का भुगतान किया जायेगा.
- (9) संविदा पेंशन संबंधी किसी भी प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा.
- (10) इस संविदा के खण्ड 5 में अन्तरविष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालक, खेल एवं युवक कल्याण के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय संविदा की सेवाओं को समाप्त कर दे यदि सम्यक रूप से गठित सलाहकार चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट से उसका यह समाधान हो जाता है कि संविदा अयोग्य है और उसके खराब स्वास्थ्य कि वजह से विचारार्थ कालावधि के लिये उसके अयोग्य बने रहने की संभावना है तो उसकी सेवायें उसे एक मास की सूचना देकर समाप्त कर दी जायेगी. इस प्रकार सेवा समाप्त की दशा में जिला कार्यालय संविदा को संविदा की अनवसित कालावधि के लिये किसी भी प्रतिकर का भुगतान करने की दायित्वाधीन नहीं होगी.
- (11) केवल कर्तव्य पर यात्रा करते समय संविदा शासन के समकक्ष श्रेणी कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा.
- (12) नियोजन के तत्काल पश्चात् संविदा सेवा का चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा इस हेतु संविदा सेवा को यथा विहित जानकारी 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी. यदि चरित्र सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह संविदा, संविदा सेवा को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् नियोजन कर्ता प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दी जायेगी.
- (13) यदि कोई संविदा सम्यक अनुमति के बिना अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहता/रहती है या मध्यप्रदेश खेल एवं युवक कल्याण (भर्ती सूचना केन्द्र सह प्रशिक्षण संस्थान) नियम 2009 के नियम 12 (4) में यथा उल्लेखित दिन या कालावधि से अधिक के अवकाश पर अनुपस्थित रहता है तो उसके संविदा पारिश्रमिक में से ऐसी कालावधि के लिये अनुपातिक पारिश्रमिक की कटौती की जाएगी.
- (14) संविदा को नियोजन कर्ता प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यों/ कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा.

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने इस संविदा को ऊपर लिखी तारीख मास वर्ष को निष्पादित करके निम्नलिखित की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए और संचालनालय खेल एवं युवक कल्याण कार्यालय की मुद्रा लगाई गई.

साक्षी

1. (1) नियोजक के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा
2. (2) संविदा सेवक हस्ताक्षर (नाम)